

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत (अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु) राजकीय कार्यालयों में कार्यरत समूह "क" एवं "ख" के अधिकारियों की पदस्थापना हेतु विकल्प पत्र (धारा 9 एवं 12 के अनुसार)

1. अधिकारी का नाम:—
2. अधिकारी की ID (ऑनलाइन एन्ट्री के अनुसार):—
3. वर्तमान धारित पदनाम:—
4. मूल पद (निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, खण्ड शिक्षा अधिकारी/समकक्ष, उपशिक्षा अधिकारी/समकक्ष):—
5. कार्यरत कार्यालय/संस्थान का नाम:—
6. कार्यरत कार्यालय/संस्थान की श्रेणी (सुगम/दुर्गम):—
7. अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु इच्छित राजकीय कार्यालय/संस्थान (विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड) के विकल्प:—

क्र०सं०	कार्यालय/संस्थान का नाम	पदनाम	मूल पद	विकासखण्ड	जनपद का नाम	कार्यालय/संस्थान की श्रेणी (सुगम/दुर्गम)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

हस्ताक्षर अधिकारी

नाम—

पदनाम—

कार्यरत कार्यालय/संस्थान का नाम—

प्रतिहस्ताक्षरित

सक्षम अधिकारी

नाम—.....

(संस्था की मुहर)